

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2008—वैशाख 19, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4847/डी-133/21-अ/प्रारूपण/07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-04-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ तम्बाखू अधिनियम, 1939 (क्रमांक 8 सन् 1939) को निरसित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :—

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) अधिनियम, 2008 है.
(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.
(तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- निरसन. 2. छत्तीसगढ़ तम्बाखू अधिनियम, 1939 (क्रमांक 8 सन् 1939) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4847/डी-133/21-अ/प्रारूपण/07.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ तम्बाखू (निरसन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2008)

THE CHHATTISGARH TOBACCO (NIRSAN) ACT, 2008

An Act to repeal the Chhattisgarh Tobacco Act, 1939 (No. 8 of 1939).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

- Short title and Commencement. 1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Tobacco (Nirsan) Act, 2008.
(ii) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
(iii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- Repeal. 2. The Chhattisgarh Tobacco Act, 1939 (No. 8 of 1939) is hereby repealed.